ELECTION TO COMMITTEE RUBBER BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN) : I beg to move :

> "That in pursuance of sub-section (3) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act."

MR. CHAIRMAN : The question is :

> "That in pursuance of sub-section (3) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of this Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

CUSTOMS TARIFF (AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN : Next item, Mr. Venkataraman.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN) : I think they have some objections.

MR. CHAIRMAN : First you move.

SHRI R. VENKATARAMAN : I move for leave to introduce a Bill further to amend the Customs Tariff Act, 1975.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Customs Tariff Act, 1975."

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार): पार्लियामेंट का सेशन होने के पहले यह सरकार पूरे मुल्क की अर्थव्यवस्था को, राजनीति को, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को-ग्रार्डिनेंसों की मदद से चलाना चाहती है ग्रौर पार्लियामेंट की ग्रवहेलना करने पर तुली हुई है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूँगा कि जहां ये लोग कांग्रेस (ग्राई) की सरकार लिखते है वहा (ग्राई) को ग्रौर जरा एक गोल दायरे में डाल दे तो समझ में आ जायेगा कि ग्रार्डिनेंसों के द्वारा यह सरकार चलती है। ये ग्रब जो टैरिफ एमेंडमेंट एक्ट 1981 में कर ग्राये है इस पर पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के बाहर ग्रगर ये ग्रार्डिनेंस न लाए तो ज्यादा ग्रच्छा हो क्योकि पार्लियामेंट की, लोक सभा की इस से देश के लोगों के मन में कीमत बढ़ेगी।

दो सौ परसेंट ग्रौर 190 परसेंट ड्यूटी इन्होंने खाने के तेलों पर बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें रखा है। पहले जब ग्रार्डिनेंस जारी हुग्रा था तब उसमें 150 परसेंट ड्यूटी बढ़ी थी। ग्रब इन्होंने 200 परसेंट ग्रौर 190 परसेंट इसमें बढ़ाने की बात कही है। पुराना जो 1975 का एक्ट है उसमें सब हैडिंग न० 1501.06 में नं० 1 ग्रौर 2 में 60 परसेंट ग्रौर 40 परसेंट ड्यूटी रखी गई थी। इसको ग्रब दो सौ परसेंट कर दिया है। हैडिंग नं० 15.07 में जिसमें—जानवरों की चर्बी ग्रौर मछली का तेल ग्रादि ग्राते